

डी. ए. वी. पी. जी. कालेज

गोरखपुर

विवरणिका 2023-24



विवरणिका एवं
प्रवेश निर्देशिका



 : <https://davpgcollegegkp.com>
 : principaldavpgc@gmail.com
 : 0551-3500218



डी० ए० वी० पी० जी० कालेज, गोरखपुर

डी.ए.वी. पी.जी. कालेज, गोरखपुर की स्थापना आर्यन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा गोरखपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 1970 में की गई। दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस के 200वें वर्ष में प्रवेश पर राष्ट्रनिर्माण में शिक्षा के उद्देश्य को स्वीकार करने हेतु डी.ए.वी पी.जी. कालेज सतत् प्रयासरत है। प्रारम्भिक दौर में स्नातक कला संकाय की कक्षाओं के संचालन हेतु मान्यता प्रदान की गई, किन्तु एक वर्ष के अन्तराल में ही बी.एस.सी. जीव विज्ञान एवं गणित वर्ग की कक्षाओं हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई। राजनीति शास्त्र एवं इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक) की स्नातकोत्तर विषय की कक्षाओं का स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत वर्ष 2006 में संचालन प्रारम्भ किया गया एवं इसी विकास यात्रा के क्रम में बी.कॉम. की कक्षाये 2019 से सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेने वाले विद्यार्थी इस प्रांगण का उपयोग अपने सर्वांगीण विकास हेतु कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ायें।

डॉ. शैल पाण्डे
प्राचार्य

नोट :

प्रवेश फार्म के साथ उपलब्ध विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें जिससे गलती की संभावना कम से कम रहे।



प्रवेश फार्म प्राप्ति : सूचना एवं नियम

बी0 ए0/ बी0 एस-सी0/बी.काम. में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन होगी। इच्छुक विद्यार्थियों को महाविद्यालय पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षापरिषद की इण्टरमीडिएट या समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अलग-अलग कक्षाओं के लिये अलग-अलग आवेदन-पत्र जमा करना होगा। किसी भी दशा में एक कक्षा में भरा गया आवेदन-पत्र दूसरे कक्षा के लिये स्थानान्तरित नहीं होगा, तथा आवेदन-पत्र जमा होने के पश्चात् कोई भी अधिभार या जाति प्रमाण-पत्र नहीं लिया जायेगा।

प्रवेश आवेदन-पत्र समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में जमा होगा। आवेदन-पत्र जमा करने के उपरान्त जमा रसीद अवश्य प्राप्त करें।

प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले अभिलेख

1. हाई स्कूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट अंक-पत्र की छायाप्रति।
3. यदि आरक्षित श्रेणी के हों तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
4. अधिभार/वेटेज(यदि माँगा है) से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
5. आधार कार्ड की छाया प्रति।

नोट: सभी संलग्नकों पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें।



साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख

1. हाईस्कूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
2. इण्टरमीडिएट अंक-पत्र की मूल प्रति।
3. अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
4. अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) की मूल प्रति।
5. वेटेज (अधिभार) यदि माँगा है, तो इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी (जिन्होंने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है) वे सक्षम अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत ग्यारह अंकों वाला कम्प्यूटरीकृत प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करें।
7. प्रवेशार्थी की एक ही तरह की दो टिकट साइज फोटो।
8. आधार कार्ड की फोटो कापी
9. यदि इण्टरमीडिएट वर्ष 2023 के पूर्व उत्तीर्ण की है तो वर्ष-अन्तराल की नोटरी शपथ-पत्र की मूल प्रति।
10. सक्रिय ई-मेल आई-डी।

प्रवेश फार्म प्राप्ति : सूचना एवं नियम

कला संकाय

स्नातक : बी0 ए0 प्रथम वर्ष

महाविद्यालय में स्नातक कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान तथा भूगोल सहित कुल 10 (दस) विषय हैं।



विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के छात्र/छात्राओं की अधिकतम प्रवेशित संख्या निर्धारित है। प्रवेश के समय विषय का आवंटन, सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

नोट: जिन छात्र/छात्राओं ने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया है वे बी0 ए0 में भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञान संकाय

महाविद्यालय में बी0 एस-सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने इण्टरमीडिएट के विषय के अनुसार विषय-समूह का चयन कर सकते हैं -

गणित वर्ग : रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित।
जीव विज्ञान वर्ग : रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान।

इण्टर गणित से उत्तीर्ण विद्यार्थी गणित वर्ग में एवं इण्टर जीव विज्ञान से उत्तीर्ण जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.काम एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिविज्ञान एवं इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक) विषय हेतु स्थायी मान्यता शासन द्वारा स्वीकृत है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

इन कक्षाओं में सीटें निम्नवत् हैं-

1. एम0 ए0 प्रथम वर्ष राजनीतिविज्ञान - 60 सीट
2. एम0 ए0 प्रथम वर्ष इतिहास - 60 सीट
(मध्यकालीन एवं आधुनिक)

वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर: एम0 ए0 प्रथम सेमस्टर

3. बी.काम. - 264 सीट
इण्टरमीडिएट किसी भी विषय से 40% के साथ उत्तीर्ण



प्रवेश : सूचना एवं नियम

1. योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 7 प्रतिशत अंक की कटौती करके मेरिट की गणना की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को अन्तराल (गैप) के लिये स्पष्टीकरण देते हुए नोटरी शपथ-पत्र देना होगा।
2. कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी कक्षा में एक वर्ष (I व II सेमेस्टर) तक ही संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो बी0 ए0 / बी0 एस-सी0 की प्रथम वर्ष में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने की सुविधा दी जाती है। अतः ऐसे छात्रों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी या संज्ञान में आने पर कि वह भूतपूर्व छात्र हैं, उसका प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध तथ्यों के छिपाने के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
3. स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत प्राप्तांक की न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी।
4. अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए 27 प्रतिशत (क्रीमिलेयर के नीचे) सीटें आरक्षित हैं।
5. शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-3/2019/4/12002/का-2/19 टी.सी.-॥ दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिये आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए अनुमन्य होगा।
आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमिलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है।



अनुमन्य वेटेज: अधिमार

- * छात्राओं के लिए 3 प्रतिशत।
- * एन0 सी0 सी0- 'सी' सर्टिफिकेट-धारक 3 प्रतिशत।
- * एन0 सी0 सी0- 'बी' सर्टिफिकेट-धारक 2 प्रतिशत।
- * राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी को 3 प्रतिशत।
- * शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये 3 प्रतिशत।
- * अन्तर जनपदीय/प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत
- * स्व. सं. सेनानी, भू. सैनिकों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत।
- * स्काउट/गाइड/ एन.एस.एस. 2 प्रतिशत।
- * महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के आश्रितों को 10 प्रतिशत।

महाविद्यालय विवरणिका के अनुसार अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में जमा किया गया प्रवेश-आवेदन-पत्र शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये नियम एवं विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने का समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी आवेदक का प्रवेश अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। कोई भी आवेदक अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की माँग नहीं कर सकता है चाहे वह प्रवेश के लिये हर प्रकार के अर्ह क्यों न हो। कोई भी संस्थागत छात्र महाविद्यालय में सम्बन्धित सत्र में 30 जून तक ही बोनाफाइड छात्र माना जायेगा। प्रवेश होने के बाद, किसी भी समय यह ज्ञान होने पर कि प्रार्थी ने कोई असत्य वक्तव्य दिया था, अथवा किसी प्रकार के तथ्य को छिपाया था, उस प्रार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उसका प्रवेश महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जायेगा।



विषय परिवर्तन

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपना विषय महाविद्यालय में विषयवार उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक चुनें। नियमतः एक बार चुने अथवा दिए गए विषय संयोजन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

परिचय पत्र

छात्र/छात्राओं को अपना शुल्क जमा करने के तत्काल बाद **टिकट साईज की अपनी दो फोटो** नियन्ता कार्यालय में जमा कर परिचय-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। परिचय-पत्र सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने साथ रखना अनिवार्य है। प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता कार्यालय में दी जानी चाहिए।

अनुशासन

महाविद्यालय में शैक्षिक वातावरण, शान्तिपूर्ण व्यवस्था एवं सुचारू पठन-पाठन का वातावरण बनाये रखने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है। महाविद्यालय प्रत्येक छात्र से यह आशा करता है कि वह कक्षाओं के भीतर और बाहर उच्चस्तरीय अनुशासन प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक स्थान तथा समय पर किसी प्रकार के अनुचित एवं अवांछित व्यवहार के लिये, जिससे नियन्ता समिति की राय में महाविद्यालय के सम्मान को धक्का लगता हो, उचित दण्ड दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय से निष्कासन भी सम्भव है। प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं होना चाहिए, एवं भविष्य में अगर कोई आपराधिक एफ. आई. आर. दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

परिसर में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है एवं यह दण्डनीय अपराध है।



मोबाइल

मोबाइल हाथ में लेकर घूमना दण्डनीय होगा। मोबाइल अपने बैग में रखें तथा विशेष परिस्थितियों में इमरजेन्सी काल के लिए उपयोग में लाएँ।

ड्रेस

महाविद्यालय में छात्रों/छात्राओं के लिए महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में आना अनिवार्य है। 31 जुलाई 2023 से सभी विद्यार्थियों को निर्धारित ड्रेस में ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश मिलेगा। अतः इसके पूर्व ड्रेस अवश्य बनवा लें।

उपस्थिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम दिवस उपस्थिति सम्बन्धी नियम निम्नवत् हैं-

“किसी विद्यार्थी को नियमित छात्र के रूप में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह कम से कम 75 प्रतिशत दिये गये व्याख्यानों एवं प्रयोगात्मक कक्षाओं में उपस्थित न रहा हो।”

छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति सुविधा

प्रवेशित छात्र/छात्राओं में से आय एवं योग्यता के आधार पर शासन एवं महाविद्यालय स्तर पर कुछ विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति सुविधा एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिसकी निरन्तरता के निमित्त निरन्तर संतोषप्रद कार्य अपेक्षित है। शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि हेतु, सूचना पट्ट देखें। इस प्रकार की सहायता हेतु अभ्यर्थी के नाम से बैंक खाता एवं 75% उपस्थिति अनिवार्य है।



काॅशनमनी

प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के समय देय काॅशनमनी महाविद्यालय की किसी नष्ट सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति के बाद विद्यार्थी के महाविद्यालय छोड़ने की तिथि (परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) से दो वित्तीय वर्ष के अन्दर नो-ड्यूज प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया जायेगा।

साइकिल स्टैण्ड

महाविद्यालय में साइकिल से आने वाले छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए, महाविद्यालय में साइकिल रखने के लिये स्थान निर्धारित है। छात्रों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अपनी साइकिलों में दो मजबूत ताले लगाकर ही अपनी साइकिल निर्धारित स्थान पर रखें। साइकिल स्टैण्ड पर यदि नियुक्त कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो असुरक्षित स्थिति में साइकिल न रखें और इसकी जानकारी कार्यालय को दें। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपनी साइकिल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप पर है, इसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कार, मोटर साइकिल, हेलमेट एवं स्कूटी की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।

परीक्षा आवेदन-पत्र

विश्वविद्यालयी परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित परीक्षा आवेदन-पत्र को पूरित कर जमा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आन-लाइन व्यवस्था की गयी है। छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में सही प्रविष्टि भरना, फोटो सहित आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्न एवं हस्ताक्षर कर महाविद्यालय द्वारा घोषित समय-सीमा में जमा करना आवश्यक होता है। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब/त्रुटि के कारण उत्पन्न परिस्थिति के लिए छात्र-छात्रा स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में सभी छात्रों हेतु पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है।



शिक्षणेत्तर क्रिया-कलाप

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के चतुर्दिक विकास हेतु एन. सी.सी., रोवर्स एवं रेंजर्स एवं एन.एस.एस. की सुविधाएँ छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं। इसमें प्रशिक्षित छात्र/छात्राओं को उच्च कक्षाओं में प्रवेश एवं राजकीय सेवाओं में वरीयता प्राप्त होता है। इन कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्राएँ निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर समय से पंजीकरण करवा लें-

कैप्टन सुबोध कुमार- एन. सी. सी.(छात्र-छात्राओं)

डॉ० स्नेह लता त्रिपाठी - रेंजर (छात्राओं हेतु)

डॉ० संजय पाण्डेय- रोवर्स (छात्रों हेतु)

डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव - NSS (छात्र-छात्राओं हेतु)

शुल्क जमा व्यवस्था

प्रवेश-समिति द्वारा स्वीकृत विषय के अनुसार निर्गत प्रवेश-अनुमति पत्र में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि भी अंकित की जायेगी। शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करना अनिवार्य है। निश्चित तिथि में शुल्क जमा न करने पर प्रवेश-अनुमति-पत्र निरस्त हो जायेगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही वार्षिक शुल्क एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क तथा पूरे सत्र का मासिक एवं अन्य अनिवार्य शुल्क बैंक में जमा करना होगा। सेमेस्टर प्रणाली में प्रत्येक सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा। निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा रसीद ही अभ्यर्थी का प्रवेश प्रमाण है। किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का जमा शुल्क वापस नहीं होगा। सत्र 2022-23 के बी० ए० एवं बी० एस-सी० प्रथम वर्ष (I व II सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जो शुल्क विवरण चार्ट में अंकित हैं, को बैंक ऑफ इण्डिया, गाँधी गली गोलघर, गोरखपुर में जमा करना होगा।



पाठ्य विषयों में पंजीकरण

जिस पाठ्य विषय में प्रवेशार्थी को प्रवेश मिला है, वे उससे सम्बन्धित विभाग में शुल्क-जमा-रसीद एवं प्रवेश अनुमति-पत्र दिखाकर अपना नाम छात्र उपस्थिति पंजिका में अंकित करायेंगे।

बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश

सत्र के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा सीटों में वृद्धि भी की जा सकती है। सीट वृद्धि की स्थिति में बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश हेतु सूचना प्राप्ति के लिए सूचना-पट्ट देखते रहें। इस हेतु अलग से प्रवेश-फार्म वितरित किया जा सकता है।

शुल्क

सत्र- 2022-23

कक्षा	छात्र	छात्रायें
बी.ए. (प्रयोगिक विषय रहित)	4904.00	4772.00
बी.ए. (प्रयोगिक विषय सहित)	5194.00	5062.00
बी.एस-सी. (गणित)	5484.00	5352.00
बी.एस-सी. (जीव विज्ञान)	5774.00	5642.00

- उपर्युक्त शुल्क उत्तर प्रदेश शासन एवं दी. द. उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के निर्देशानुसार निर्धारित किया गया है।
- शासन के निर्देशानुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क जमा से मुक्ति प्रदान की गयी है।
- शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर शुल्क संरचना में परिवर्तन सम्भव है।
- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी.काम. एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में शासनादेश के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।



महाविद्यालय परिवार

शिक्षक

1. प्रो. शैल पाण्डे प्राचार्य
2. डॉ. अमृता श्रीवास्तव एसो. प्रो., समाजशास्त्र
3. प्रो. सुबोध कुमार प्रो., राजनीतिविज्ञान
4. डॉ. वेदवती सिंह एसो. प्रो., हिन्दी
5. डॉ. प्रवीन सिन्हा एसो. प्रो., अंग्रेजी
6. श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव एसो. प्रो., शिक्षाशास्त्र
7. डॉ. बिन्दु कुमारी एसो. प्रो., गणित
8. डॉ. अजय कीर्ति तिवारी एसो. प्रो., समाजशास्त्र
9. डॉ. निरूपमा तिवारी एसो. प्रो., रसायन विज्ञान
10. डा० परेश सनत एसो. प्रो., गणित
11. डा० पूनम असि. प्रो., अर्थशास्त्र
12. श्री विनीत कुमार असि. प्रो., इतिहास
13. डा० विनोद कुमार गुप्ता असि. प्रो., मनोविज्ञान
14. डा० स्नेहलता त्रिपाठी असि. प्रो., वनस्पति विज्ञान
15. डा० संजय कुमार पाण्डेय असि. प्रो., वनस्पति विज्ञान
16. डा० अमरेन्द्र कु. पाण्डेय असि. प्रो., प्राणि विज्ञान
17. डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव असि. प्रो., भौतिक विज्ञान
18. डॉ० राजेश कुमार राय असि. प्रो., भौतिक विज्ञान
19. डा० मुन्ना प्रसाद गुप्त असि. प्रो., रसायन विज्ञान
20. श्रीमती प्रतिभा गुप्ता असि. प्रो., अंग्रेजी
21. डॉ० कुलदीप कु० द्विवेदी असि. प्रो., समाजशास्त्र
22. डा. संजय कुमार असि. प्रो., वनस्पति विज्ञान विभाग
23. श्री अभिषेक कुमार गुप्ता असि. प्रो., प्राणि विज्ञान विभाग
24. कु. रक्षा गुप्ता असि. प्रो., प्राणि विज्ञान विभाग
25. डा. विश्व दीपक सिंह असि. प्रो., रसायन विज्ञान विभाग
26. श्री शिवम श्रीवास्तव असि. प्रो., रसायन विज्ञान विभाग
27. श्री बिमलेश कुशवाहा असि. प्रो., मनोविज्ञान विभाग
28. डा. आशाराम वर्मा असि. प्रो., शिक्षाशास्त्र विभाग
29. डॉ. पंकज तिवारी असि. प्रो., राजनीतिशास्त्र
30. डॉ. प्रीति शर्मा असि. प्रो., इतिहास



31. डॉ. संजय श्रीवास्तव असि. प्रो., इतिहास
32. डॉ. संजय कुमार मिश्रा असि. प्रो., इतिहास
33. डा० प्रमोद कुमार त्रिपाठी असि. प्रो., वाणिज्य
34. डा० सुगन्धा पाण्डेय असि. प्रो., वाणिज्य

कार्यालय

1. श्री चन्द्रमोहन श्रीवास्तव कार्यालय अधीक्षक
2. श्री राघवेन्द्र कुमार लिपिक
3. श्री ज्ञान प्रकाश राय आशुलिपिक
4. श्री अंकित कुमार लिपिक
5. श्री निगमेन्द्र प्रताप पाण्डेय लिपिक
6. कु० वैष्णवी सुशील लिपिक

पुस्तकालय

1. श्री वीर विक्रम शाही पुस्तकालय सहायक
2. श्री राम भवन कन्नौजिया पुस्तकालय सहायक

प्रयोगशाला

1. श्री सुधांशु मिश्र प्रयोगशाला सहायक
2. श्री चन्द्रसेन सोनकर प्रयोगशाला सहायक
3. श्री मास्टर राजीव कुमार चौधरी प्रयोगशाला सहायक

कर्मचारी-गण

श्री रमाकान्त, श्री अमित राय, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, श्री मेवा लाल गुप्ता, श्री धर्मदेव, श्री दिनेश कुमार यादव, श्री प्रेमचन्द्र, श्री यशवन्त सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री मनोज कुमार, श्री मनीष कुमार यादव, श्री जय प्रताप यादव, श्री अखिलेश कुमार, श्री राकेश कुमार यादव, श्री अली अहमद

